

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

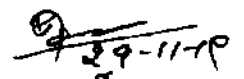
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / २३/४ /2019 दिनांक २१.11.2019

श्री विकास कुमार स्वामी (RJ0785), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर को दिनांक 23.12.2019 से 24.12.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.12.2019 एवं 25.12.2019 से 01.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री स्वामी की अनुपस्थिति में विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज), भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

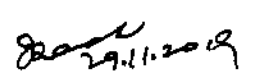

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/68/2013/ ११५१४

दिनांक : 2१.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 7789 दिनांक 25.11.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री विकास कुमार स्वामी (RJ0785), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर ।
5. विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज), भरतपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार